सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

**संख्या– 515**
10/07/2017

# पी0आई0ओ0–सह–डी0ई0ओ0 बेगूसराय को लगा आर्थिक दण्ड

**पटना–10 जुलाई, 2017** :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–125582/14–15 के मामले में लोक सूचना पदाधिकारी –सह– जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक डॉ0 रामसागर महतो द्वारा मांगी गई प्रपत्र 'क' की सूचना को देने में टालमटोल करने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने के एवज में लोक सूचना पदाधिकारी–सह–जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय को 20,000 (बीस हजार) रुपये का अर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही लगाये गए अर्थिक दण्ड की राशि की कटौती हेतु फैसले की कॉपी भेजवाते हुए जिला पदाधिकरी/कोषगार पदाधिकारी, बेगूसराय को यह निदेश दिया है कि राशि कटौती की सूचना से आयोग को भी अवगत कराया जाय। इसकी प्रतिलिपि सचिव राज्य सूचना आयोग को भी प्रेषित की गई है।

ज्ञातव्य हे कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 10 अगस्त 2017 को अपराह्न ढाई बजे अपराह्न आयोग कार्यालय में होगी।

******